# मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल,मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

फोन–0755–2430154, फैक्स– 4004137

*वेबसाईट : www.mperc.in, ई–मेल : secretary @ mperc.nic.in*


**क्रमांक : मप्रविनिआ / डी(टी) / 2023 / 19** **भोपाल, दिनांक 03 / 01 / 2023**

## सार्वजनिक सूचना

याचिकाकर्ता मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के साथ मैसर्स पीटीसी इंडिया लिमिटेड और एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने संयुक्त रूप से वित्तीय वर्ष 2019–20 2020–21 एवं 2021–22 के लिये छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के पथाड़ी गांव में स्थित लैंको अमरकंटक की 300 मेगावाट यूनिट नंबर 1 कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट से बिजली आपूर्ति के लिए आयोग के 13.05.2022 दिनांकित आदेश से अवधारित उत्पादन टैरिफ के सत्यापन के लिये याचिका दायर की है। उक्त याचिका एमपीईआरसी (उत्पादन टैरिफ अवधारण के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2020 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और धारा 86 (1) (ए) और (बी) के साथ पठित धारा 64 (5) के तहत दायर की गई है।

उपर्युक्त अवधि के लिए आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के सत्यापन के लिए दावा किए गए वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभारों का विवरण नीचे दिया गया है : **(राशि करोड़ रुपये में)**

| विवरण | आयोग के 13.05.2022 दिनांकित विद्युत दर आदेश के अनुसार वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभार का अवधारण | | | याचिकाकर्ता के द्वारा वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभार का दावा | | | सत्यापन राशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 |
| वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभार | | | | | | | | | |
| अवमूल्यन / अवक्षयण | 62.19 | 62.19 | 62.19 | 63.87 | 63.87 | 63.87 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| ऋण पूंजी पर ब्याज | 46.23 | 37.86 | 29.50 | 46.12 | 37.53 | 28.93 | –0.11 | –0.33 | –0.57 |
| अंश पूंजी पर प्रतिलाभ | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 48.16 | 49.57 | 50.80 | 1.36 | 2.77 | 4.00 |
| प्रचालन एवं संधारण व्यय | 84.9 | 87.87 | 90.96 | 84.90 | 87.87 | 90.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कार्यशील पूंजी पर ब्याज | 23.56 | 22.02 | 20.56 | 23.61 | 22.07 | 20.62 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| **कुल वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभार** | **263.67** | **256.74** | **250.00** | **266.65** | **260.90** | **255.18** | **2.98** | **4.16** | **5.18** |
| कमः गैर टैरिफ आय | 0.33 | 0.10 | 0.10 | 0.33 | 0.10 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| शुद्ध वार्षिक क्षमता (स्थायी) **प्रभार** | **263.34** | **256.64** | **249.90** | **266.32** | **260.8** | **255.01** | **2.98** | **4.16** | **5.11** |

**आयोग ने याचिका स्वीकार कर इसे याचिका संख्या 74 / 2022 के रूप में दर्ज कर लिया है।**

इस संदर्भ में आपत्ति / टिप्पणी / सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति उनके तथ्यों की पुष्टि में दस्तावेजों और साक्ष्यों की कोपियों के साथ उनकी आपत्ति / टिप्पणी / सुझाव सीधे सचिव, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, मेट्रो प्लाजा, 5 वीं मंजिल, ई–5, अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल 462016 को इस प्रकार भेजें कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर आयोग कार्यालय पहुंच जाए। इसकी एक कॉपी निदेशक (वाणिज्यिक) , लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, 397, उद्योग विहार फेज III गुड़गांव–122016 को भी भेजे दें। आपत्तियों / टिप्पणियों / सुझावों की अग्रिम कॉपी को फैक्स और ई–मेल से भी भेजा जा सकता है।

इच्छुक व्यक्ति याचिका (अंग्रेजी संस्करण) की कॉपी किसी कार्य दिवस पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक आयोग कार्यालय या लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, प्लॉट नं. 397, उद्योग विहार चरण III, गुड़गांव – 122016 से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए 200 रू. नकद या एमपीआरसी के नाम भोपाल में देय या लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के पक्ष में, गुड़गाव में देय किसी अनुसूचित बैंक का 200 रू. का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। याचिका की कॉपी 50 रू. अतिरिक्त डाक शुल्क भुगतान कर डाक से भी प्राप्त की जा सकती है। यह याचिका आयोग की वेबसाइट www.mperc.in पर भी उपलब्ध है।

इस प्रकरण में जन सुनवाई का आयोजन **दिनांक 31.01.2023 प्रातः 11.00 बजे** किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित आपत्ति / टिप्पणी / सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे अपना मोबाईल नं. एवं ई–मेल आई.डी. आयोग में भेजकर उक्त जन सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईडलाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

आयोग के आदेशानुसार

सचिव